RBE No. 9 /2014

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A) 2008 RG6-36

New Delhi, 15/01/2014

The General Manager(P)
All Indian Railways and
Production Units etc.
(As per standard list).

Sub: Determination of date of increment after expiry of duration of penalties of withholding of increments/reduction to lower stage imposed for less than a year regarding.

.....

Ministry of Railways have received a few references regarding certain penalties of rule 6 of Railway Servants (Discipline And Appeal) Rules, 1968 which are having pay element imposed for less than a year. In one case, the penalty of withholding of increments was imposed on 24.3.2008 for a period of six months with cumulative effect and in the other case the penalty of reduction to lower stage was imposed on 9.2.2009 for a period of six months with non-cumulative effect.

2. The question of date of release of increment in the above cases on expiry of the penalty, in the context of fixing of Ist July as the date of increment uniformally for all Government servants following VIth CPC, has been examined in consultation with the Department of Personnel & Training. It is advised that fixing of Ist July as the date of increment for all Government servants under the Revised Pay Rules following the acceptance of the recommendation of the VIth CPC, is relevant only in respect of **Annual** increment. This provision is not applicable where the increment is withheld as a measure of penalty. In cases where the increment is withheld as a penalty for a specified period restoration of the withheld increment would be at the end of the currency of the penalty and not postponed to the next Ist July. The person concerned may even be entitled to the next increment on the Ist July following the expiry of the currency of the penalty, (notwithstanding the fact that the penalty imposed on him was having postponing effect on his future increments), if he has net qualifying service of six months prior to the relevant Ist July.

3. Likewise, where the penalty of reduction to lower stage was imposed, the pay will be restored immediately on expiry of the currency of the penalty. In so far as release of next increment is concerned, the same may also be allowed immediately on restoration if the person concerned has rendered net qualifying service of six months on the Ist July preceding the date of the expiry of the currency of the penalty.

4. Please acknowledge receipt.

(Harish Chander)
Dy. Director Estt. (D&A)
Railway Board

...2

No. E(D&A) 2008 RG6-36 New Delhi 15 /01/2014

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spares).
3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C Ferozshah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 6 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 6 spares).
6. The Secretary, RBSSS 'Group A Officers' Association', Room No. 462, Rail Bhavan, New Delhi.
7. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS 'Group B Officers' Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Group D Employees Association.
11. M/s Bahri Brother, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O. Box No. 2032
12. Adviser Safety, Railway Board, New Delhi.
13. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
14. The General Secretary,All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi- 110001.
15. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.) 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.
16. The Manager (HRD), Rail Land Development Authority, Near Safdarjung Railway Station, Motibagh-I, New Delhi-110021.
17. The Chief Mechanical Engineer, Indian Railways Organisation for Alternate Fuels, 12th Floor, Core-I, Scope Minar, District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
18. Office of Chief Administrative Officer, Indian Railways (Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar.
19. Adviser (Projects), Room No. 548, M/o Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
20. Chief Administrative Officer, Rail Coach Factory/Raebareilli Project, Kishanganj, Delhi-110007.

For Secretary, Railway Board

Copy to:

PS/MR, PS/MSR(K), PS/MSR(A)
Sr. PPSs to CRB, FC, MS, MT, ME, MM, ML
All Officers and Branches in Board's Office

आरबीई सं. 9/2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डीएंडए) 2008 आरजी6-36 नई दिल्ली, दिनांक 15/01/2014

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: एक वर्ष से कम के लिए वेतन वृद्धि रोकने/निचले स्तर पर अवनति से संबंधित शास्तियों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वेतन वृद्धि की तारीख का निर्धारण करना।

.....

रेल मंत्रालय को, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 6 की कुछ ऐसी शास्तियों, जिनमें वेतन का अंश है और जो एक वर्ष से कम की अवधि के लिए अधिरोपित की गई हों, के संबंध में कुछ मामले प्राप्त हुए हैं। एक मामले में, 24.03.2008 को संचयी प्रभाव के साथ छः माह के लिए वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति लगाई गई थी तथा एक अन्य मामले में 9.2.2009 को गैर-संचयी प्रभाव के साथ छः माह के लिए निचले स्तर पर अवनति की शास्ति लगाई गई थी।

2. छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप से वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई निर्धारित होने के संदर्भ में उपर्युक्त मामलों में, शास्ति समाप्त होने पर वेतन वृद्धि जारी करने की तारीख के प्रश्न की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मंत्रालय में जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद संशोधित वेतन नियमों के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई को वेतन वृद्धि की तारीख के रूप में निर्धारित करना केवल **वार्षिक** वृद्धि के लिए संगत है। यह प्रावधान, उन मामलों में जहां शास्ति के रूप में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है पर लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में, जहां एक निश्चित समय के लिए वेतन वृद्धि को शास्ति के तौर पर रोका जाता है, ऐसी रोकी गई वेतन वृद्धि को शास्ति का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात् बहाल कर दिया जाएगा और इसे अगली 1 जुलाई तक स्थगित नहीं किया जायेगा। यदि शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली 1 जुलाई तक संबंधित रेल सेवक ने छः माह की निर्धारित अर्हक सेवा अर्जित कर ली है तो वह शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली 1 जुलाई को अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार भी

...)

होगा (इस तथ्य के बावजूद भी कि उस पर लगाई गई शास्ति का उसकी भावी वेतन वृद्धियों पर स्थगनात्मक प्रभाव था) ।

3. इसी तरह से, जहां निचले स्तर पर अवनति की शास्ति लगाई गई हो, वहां शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर तत्काल वेतन को बहाल किया जाएगा। जहां तक अगली वेतन वृद्धि जारी करने का संबंध है, वह भी शास्ति की अवधि की समाप्ति के शीघ्र पश्चात् प्रदान कर दी जाएगी यदि संबंधित व्यक्ति ने शास्ति की अवधि समाप्त होने की तारीख से पूर्व 1 जुलाई को छः माह की निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

4. कृपया पावती दें।

(हरीश चन्द्र)
उप निदेशक स्थापना (डी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डीएंडए) 2008 आरजी6-36 नई दिल्ली, दिनांक 15.01.2014

प्रतिलिपि प्रेषित: -

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव,एनएफआईआर, 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली। (06 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली। (06 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. सचिव, आरबीएसएसएस 'ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन' कमरा नं 462, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली ।
8. सचिव, आरबीएसएस 'ग्रुप बी ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिलिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन ।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड, ग्रुप डी कर्मचारी ऐसोसिएशन ।
11. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742 लाजपत राय मार्केट, दिल्ली - 110 006, पी ओ बाक्स नं 2032 ।
12. सलाहकार(संरक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
13. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ ।

...)

14. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी ऐसोसिएशन, कमरा नं 8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली 110 001 ।
15. महासचिव, रिटायर्ड रेलवे इंप्लाईज़ वेलफेयर ऐसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुड़गांव
16. प्रबंधक, (एचआरडी), रेल भूमि विकास प्राधिकरण, सफदरजंग रेलवे स्टेशन के नज़दीक, मोतीबाग-I, नई दिल्ली - 110 021
17. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, इंडियन रेलवेज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल्स, 12वां तल, कोर-1, स्कोप मिनार, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110 092
18. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, भारतीय रेलें (वर्कशाप परियोजना), चैम्बर भवन, जज कोर्ड रोड, अंटा घाट, पटना- 800 001, बिहार।
19. सलाहाकर (परियोजना), कमरा नं 548, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
20. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्टरी/राय बरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-110007

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

MOREMENT